

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001

Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न०(0135) - 2713551

संख्या-2823/XXV- 12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 0 / मई, 2024

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी /
कार्यालय राज्य निर्वाचन आयोग
लाडपुर रिंग रोड
देहरादून।

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक श्री सिद्धार्थ वर्मा,एडवोकेट 275 तिलक रोड देहरादून उत्तराखण्ड के अनुरोध पत्र दिनांक 24.04.2024 जो इस कार्यालय में दिनांक 29.04.2024 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि अनुरोध पत्र में वांछित सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने कार्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. Sawant
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0-9411740189

पू0संख्या-2823/XXV- 12(P-14) /2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि- श्री सिद्धार्थ वर्मा,एडवोकेट 275 तिलक रोड देहरादून उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

B. Sawant
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0-9411740189

Siddharth Verma
Advocate

Resi.: 275 Tilak
Dehraudn - Uttarakhand
Mob. : 9997595557

Date : 24-04-2024

(रजि० ए०डी०)

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
रिंग रोड, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय- सूचना के अधिकार 2005 के अर्न्तगत मागी जाने वाली सूचना।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी को निम्न सूचना देने का कष्ट करे -

1. यह कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व में जनप्रतिनिधि रहा हो तो वह कार्यकाल समाप्त होने पर शासनकाल में दिये गये अधिकारों का गई गलत प्रयोग करता है तो उसके विरुद्ध किस नियम के अर्न्तगत कार्यवाही की जाती है। उस शासनादेश की हस्तारित छाया प्रति।
2. यह कि यदि ऐस प्रतिनिधि भविष्य में कोई चुनाव लडना चाहता है तो क्या वह चुनाव लड सकता है। यदि हां तो उस शासनादेश की हस्ताक्षरित प्रति देने का कष्ट करें।
3. यह कि क्या उक्त जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी आधार कार्ड करेक्शन फार्म सत्यापित कर सकता है। यदि हां तो उस शासनादेश की छाया प्रति देने का कष्ट करें।
4. यह कि क्या पूर्व पार्षद जो कि सन् 2007-2013 के बीच में प्रतिनिधि रहा हो वह वर्तमान में किसी भी पद पर कार्यरत न हो क्या वह आधार कार्ड के करेक्शन फार्म का वेरिफिकेशन अपने हस्ताक्षर व अपनी पुरानी मुहर का प्रयोग कर सकता है। जिसमें पार्षद लिखा हुआ हो और मौजूदा समय में पार्षद न हो। यदि हां तो कौन से आदेश के तहत उसकी हस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
5. यह कि यदि पूर्व पार्षद करेक्शन फार्म सत्यापित करता है तो वह वैध माना जायेगा या अवैध।
6. यह कि यदि पूर्व पार्षद ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही आपके द्वारा की जा सकती है। यदि नहीं तो कौन से आदेश के अर्न्तगत उसकी सत्यापित प्रतिलिपि।
7. यह कि पूर्व पार्षद अगर ऐसा करता पाया जाता है तो यह कानून व्यवस्था के खिलाफ माना जायेगा कि नहीं।

नोट - 10/-रु० का स्टेम्पर नं० IN-UK17549138135954W साथ में संलग्न है।

Siddharth Verma.
भवदीय

छाया प्रति - 1. श्रीमान जिलाधिकारी महोदया, जिला-देहरादून।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001

Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन नं(0135) - 2713551

संख्या-~~282~~/xxv- 12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 0/ मई, 2024

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी /
कार्यालय राज्य निर्वाचन आयोग
लाडपुर रिंग रोड
देहरादून।

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक श्री सिद्धार्थ वर्मा, एडवोकेट 275 तिलक रोड देहरादून उत्तराखण्ड के अनुरोध पत्र दिनांक 24.04.2024 जो इस कार्यालय में दिनांक 29.04.2024 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि अनुरोध पत्र में वांछित सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने कार्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. Sawat

(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं

लोक सूचना अधिकारी

मो0न0-9411740189

पू0संख्या-~~282~~/xxv- 12(P-14) /2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि- श्री सिद्धार्थ वर्मा, एडवोकेट 275 तिलक रोड देहरादून उत्तराखण्ड को
सूचनार्थ प्रेषित।

B. Sawat

(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं

लोक सूचना अधिकारी

मो0न0-9411740189

Siddharth Verma
Advocate

Resi.: 275 Tilak
Dehraudn - Uttarakhand
Mob. : 9997595557

Date : 24-04-2024

(रजि० ए०डी०)

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
रिंग रोड, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड।


विषय- सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत मागी जाने वाली सूचना।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी को निम्न सूचना देने का कष्ट करे -

1. यह कि नगर निकाय चुनाव 2024 में आरक्षण का क्या आधार होगा उस आधार की हस्ताक्षरित छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. यह कि आरक्षण के लिये क्या क्या कानून है। उन कानूनों की छाया प्रति देने का कष्ट करें।
3. यह कि आरक्षण के लिये कितने प्रतिशत आबादी का होनी अनिवार्य है। छाया प्रति देने का कष्ट करें।
4. यह कि यदि नगर निगम के वार्ड को आरक्षित किया जाता है तो उसके क्या क्या मानक होंगे उस आदेश की हस्ताक्षरित छाया प्रति देने का कष्ट करें।
5. यह कि यदि आरक्षण से किसी को नागरिक को आपत्ति हो तो उस आपत्ति को आपके द्वारा किस प्रकार व कितनी समयावधि में निवारण किया जायेगा बताने का कष्ट करें।

नोट - 10/-रु० का नॉन जयूडिसियन स्टम्प नं० IN-UK17549846089433W साथ में संलग्न है।


भवदीय

छाया प्रति - 1. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला-देहरादून।

